रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99 REGISTERED NO. D. L.—33001/

assistant professor (SAE)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 2000/भाद्र 4, 1922
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 2000/BHADRA 4, 1922

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2000

सा. का. नि. 328.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखापरीक्षक और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षक और लेखा विभाग (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

2229 GI/2000—1

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Comitee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)	(14)
Direct recruitment	Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering cofirmation) consisting of : 1. Director General of Civil Aviation. —Chairman 2. Deputy Director Generol of Civil Aviation (concerned). —Member 3. Deputy Director General of Civil Aviation (Administration). —Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[No. A—12018/4/99-E.II]

R. S. KATARIA, Dy. Director of Admin.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2000

सा का नि. 332.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में सहायक आचार्य (सर्वेक्षण और इंजीनियरी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून, सहायक आचार्य (सर्वेक्षण और इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2000 है ।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक आचार्य (सर्वेक्षण और इंजीनियरी)	1*(2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	8000-275-13,500 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है)।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य; और	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

8

(2) सर्वेक्षण और इंजीनियरी में तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:—

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में अध्यापन का जिसके अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग विषय भी है, पांच वर्ष का अनुभव।

(2) वन महाविद्यालय में सर्वेक्षण और इंजीनियरी में अध्यापन का अनुभव।

टिप्पण 1.—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2.—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा
11	12
प्रतिनियुक्ति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 6500—10000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; (3) 5500—9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12
टिप्पण : सहायक व्याख्याता (सर्वेक्षण और इंजीनियरी) के पद के ऐसे पदधारी की, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, उपयुक्तता का निर्धारण प्रारंभिक रूप में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। यदि वह योग्य पाया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा। यदि नहीं, तो उसके मामले पर प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन किया जायेगा जब तक कि वह योग्य नहीं पाया जाता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति 1. पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन स्थापन प्रभाग का भारसाधक संयुक्त सचिव —अध्यक्ष 2. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून —सदस्य 3. उपमहानिरीक्षक (अनुसंधान और प्रशिक्षण)/निदेशक (भारतीय वन सेवा) —सदस्य 4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 9–4/98–एफ.ई.]

एन. भट्टाचार्य, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 4th August, 2000

G.S.R. 332.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor (Survey & Engineering) in the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun Assistant Professor (Survey & Engineering) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualification.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule

4. Disqualification.—No person, —

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5 Power to relax.—Where the Central Government is of the opnion that it is necessary or expedient so to do, if may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax ay of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Professor (Survey & Engineering)	1* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 8000–275–13500.

Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) Degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised University; and	No	2 years for direct recruits.	Deputation, failing which by direct recruitment.

8

(ii) Three years experience in Survey and Engineering.

Desirable :

(i) Five years' teaching experience, including Civil Engineering subject, in a recognised University/Institution.

(ii) Teaching experience in Surveying and Engineering in Forest College.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualifications regarding experience at the is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be availale to fill posts reserved for them.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Deputation : Officers under the Central/State Governments— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 6500—10500/- or equivalent; or (iii) with 8 years'regular service in posts in the scale of Rs. 5500—9000/- or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits in column 8. (Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation : 1. Joint Secretary Incharge of Forest Establishment Division, Ministry of Environment and Forests —Chairman. 2. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun —Member. 3. Deputy Inspector General (Research and Training)/Director (Indian Forest Service) —Member. 4. Joint Director (Administration), Indira Gandhi Forest Academy, Dehradun —Member.	Consultation with UPSC necessary on each occasion.

12

three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date prescribed for receipt of applications).

Note : The suitability of the incumbent to the post of Assistant Lecturer (Survey & Engineering) with 5 years' regular service in the grade will be initially assessed by the Union Public Service Commission. In case he is considered fit, the post shall be deemed to have been filled by promotion. If not, his case will be reviewed every year till he is considered fit.

[F. No. 9–4/98–FE]

N. BHATTACHARYA, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Directorate of Estates)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd August, 2000

G.S.R. 333.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development, Directorate of Estates No. G.S.R. 237 dated the 19th June, 2000, published at pages 1500—1504 of the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 24th June, 2000—

1. at page 1503 in the Schedule,—

(i) in column 1, Name of post be read as "Superintendent (Accounts)" instead of "Superintendent (Accounts) II".

(ii) in column-2, number of post be read as '11' instead of '1'.

2. at page 1504, at the end of the schedule, the designation of S. C. GUPTA be read as "Deputy Director of Estates".

[No. A-12026/2/93-Adm. 'A']

S. C. GUPTA, Dy. Director of Estates

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2000

सा.का.नि.——334——राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, और बेतार योजना और समन्वय तथा मानिटरिंग संगठन (तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी) भर्ती नियम, 1960 का जहां तक उनका संबंध संचार मंत्रालय दूरसंचार बिभाग मे तकनीकी सहायक, श्रेणी-2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संचार मंत्रालय, दूरसंचार बिभाग मानिटरिंग संगठन में कनिष्ठ इंजीनियर (बेतार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेतार योजना समन्वय और मानिटरिंग संगठन कनिष्ठ इंजीनियर (बेतार) भर्ती नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन :—ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले पूर्व नियमित आधार पर तकनीकी सहायक श्रेणी-2 का पद धारण कर चुके हैं इन नियमों के उपबंधों के अधीन कनिष्ठ इंजीनियर (बेतार) के रूप में नियुक्त किये गये समझ जायेंगे और इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई सेवाएं सभी प्रयोजनों के लिये कनिष्ठ इंजीनियर (बेतार) के रूप में इन नियमों के अधीन की गई सेवा समझी जायेगी।